राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–61 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री अजय कुमार तिवारी 'मुनमुन', पता–महात्मा गांधी नगर, कटीरा तालाब, आरा–802301
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
31.07.2023	श्री अजय कुमार तिवारी 'मुनमुन', पता–महात्मा गांधी नगर, कटीरा तालाब, आरा–802301 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–23.07.2023 इस कार्यालय में दिनांक–26.07.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 893560 दिनांक–अप्राप्त संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री अजय कुमार तिवारी 'मुनमुन' ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–07.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ठ होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री अजय कुमार तिवारी 'मुनमुन' ने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–07.06.2023 की प्रति भी संलग्न किया है। लोक सूचना पदाधिकारी को अपीलार्थी द्वारा भेजे एवं प्रपत्र–'क' एवं अन्य संलग्न कागजात को भेजते हुए लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को यह निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–07.06.2023 पर की गयी कार्रवाई संबंधी लिखित प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि को उपस्थित रहें। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–21.08.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 3/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक-121/रा0स0(III) दिनांक-02-08-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/श्री अजय कुमार तिवारी 'मुनमुन', पता-महात्मा गांधी नगर, कटीरा तालाब, आरा-802301 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

अपील वाद संख्या--61 (लो०सू०अ०)/2023--24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.08.2023	दिनांक-31.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपीलार्थी श्री तिवारी से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक-07.06.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रपत्र 'ड.' में लोक सूचना पदाधिकारी, वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को हस्तांतरित कर दिया गया है, चूंकि वांछित सूचना उक्त विश्वविद्यालय के स्तर पर संधारित है। अपीलार्थी श्री तिवारी ने उक्त हस्तांतरण के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह प्रथम अपील दायर किया है। विदित हो कि अपीलकर्ता श्री तिवारी द्वारा निम्नांकित सूचना की मांग अपने प्रपत्र 'क' दिनांक-07.06.2023 के माध्यम से की गयी है:- *"Please supply me an attested copy of the details submitted by the Vice-Chancellor, VKSU, Ara in view of the Secretariat Memo No. BSU(VC)-45/2019-626/GS (I) dated 28.04.2023 issued under the signature of Shri Robert L. Chongthu, Principal Secretary to Governor."* इस सचिवालय से निर्गत पत्र संख्या-बी.एस.यू.(वी.सी.)-45/2019-626/रा.स.(I) दिनांक-28.04.2023 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को निजी एजेंसियों के डेटा (Data) को संग्रहित करते हुए अपने संरक्षण में लिये जाने का निदेश दिया गया था तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्रश्नगत प्रपत्र 'क' के माध्यम से अपीलार्थी श्री तिवारी उक्त डेटा की विवरणी की सत्यापित प्रति चाहते हैं, जो विश्वविद्यालय स्तर पर संधारित/संग्रहित किया गया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत किये गये हस्तांतरण की कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अगर लोक सूचना पदाधिकारी, वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो अपीलकर्ता उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत नामित (Designated) प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। तद्नुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 21/8/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक- 1314/रा०स० (III) दिनांक- 22-08-2023

प्रतिलिपिः-लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/श्री अजय कुमार तिवारी 'मुनमुन', पता-महात्मा गांधी नगर, कटीरा तालाब, आरा-802301 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी